वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 224/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-24.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 24.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना सरायमीर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 25 हजार रूपयें का इनामिया अपराधी शिवम अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण -

अवगत कराना है कि अभियुक्त शिवम उर्फ आशु बरनवाल पुत्र अखिलेश बरनवाल निवासी ठेकमा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 156/18 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट मे वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्त है, जिसके विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 21.06.2025 को 25,000/- रूपये पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त शिवम उर्फ आशु बरनवाल उपरोक्त को दिनांक 23.06.2025 को रात्रि 22.30 बजे अवैध शस्त्र व कारतूस से साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 23.06.2025 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 25 हजार रूपयें का इनामिया अभियुक्त शिवम उर्फ आशु बरनवाल पुत्र अखिलेश बरनवाल निवासी ठेकमा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को डेमरी मोड़ से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 22.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. शिवम उर्फ आशु बरनवाल पुत्र अखिलेश बरनवाल निवासी ठेकमा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

बरादमगी –

1-01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 286/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 156/18 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 211/19 धारा 174ए थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 286/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 आशु सिद्दीकी, का0 श्रेष्ठ यादव व हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 चन्दन कुमार, म0का0 संजू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व स्वाट से का0 अवनीश सिंह।

02.थाना – सरायमीर: साइबर फ्राड के 35,000 रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि आवेदक राकेश कुमार पुत्र इन्द्रजीत निवासी ग्राम करौली बुजुर्ग थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का सिम किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से प्रयोग कर UPI ID बनाकर तीन बार में रू 5,000, रू. 60,500, रू. 30,000 कुल 95,000 रूपये भिन्न भिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। दिनांक 22.06.2025 को फ्राड धनराशि में से 60,500 रूपये आवेदक को वापस कराया जा चुका है ।

बरामदगी का विवरण-

दिनांक 11.06.2025 को राकेश कुमार पुत्र इन्द्रजीत निवासी ग्राम करौली बुजुर्ग थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ अपने खाते से 95,500 रूपये कट जाने पर साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 23106250083159 दर्ज करायी गयी थी। जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि फ्राड धनराशि में से रू0. 30,000 विपक्षी सूर्यप्रताप यादव पुत्र राणा प्रताप यादव निवासी ग्राम महमूदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के खाते में तथा 5000/- रूपये विपक्षी रोशन पुत्र देवानन्द निवासी ग्राम नरवे थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के खाते मे गई थे। विपक्षीगणों से सम्पर्क कर आवेदक के खाते में कुल रू0 35,000 आज दिनांक 22.06.2025 रूपये वापस करा दिया गया है।

पुलिस टीम:

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर सौरभ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

03.थाना- कोतवाली: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक 19/06/25 को समय 15.15 बजे मेरी पुत्री को मो0नं0 8758XXXXXX व 8303XXXXX नं0 से बात करने वाला लडका रूदर राज मेरी लडकी को बहाला फुसला कर शादी के लिए भागा ले गया है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मु0अ0सं0 282/25 धारा 137(2),87 बीएनएस दिनांक 20.6.25 पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 24.6.25 को उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त रवि राजभर उर्फ रुद्र पुत्र गोपाल राजभर निवासी दौलतपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को समय 09.15 बजे सब्जी मण्डी चौराहा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया , अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- रवि राजभर उर्फ रुद्र पुत्र गोपाल राजभर निवासी दौलतपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 282/25 धारा 137(2),87,64 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, कां0 अरूण कुमार, कां0 विवेक साहू थाना कोतवाली आजमगढ़

04. थाना मुबारकपुर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

दिनांक 23.06.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि को दिनांक 22.06.2025 की रात्रि मे 12 बजे थाना मुबारकपुर क्षेत्रांतर्गत नाबालिग पीड़िता के साथ उसकी घर मे घुसकर अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दुष्कर्म किया जाने एवं शोर मचाने पर छत के रास्ते कुद कर भाग जाने के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 269/2025 धारा 64/333 बीएनएस व 3 /4 पाक्सो एक्ट बनाम सुमित कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना स्वंय प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 24.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह के वांछित अभियुक्त सुमित कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गुजरपार चौराहे से समय 20.40 बजे रात्रि मे दिनांक 23.06.2025 को हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-सुमित कुमार पुत्र सुरेश राम निवासी मलिकसुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 269/2025 धारा 64/333 बीएनएस व 3 /4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, का0 आलोक रंजन का0 रविकान्त थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

05. थाना गम्भीरपुर: हत्या के मुकदमें में वांछित बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में व घटना में प्रयुक्त एक अदद नायलान की रस्सी बरामद।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.06.2025 को वादिनी राधा पत्नी सतिराम निवासी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2025 को समय करीब शायं 06.30 वादिनी मुकदमा का लड़का साहिल पुत्र सतिराम उम्र करीब 19 वर्ष के मोबाइल पर आरोपी सोनू पुत्र रजई के फोन आने पर नहर की तरफ जाना वहीं से गायब हो जाना तथा दिनांक 21.06.2025 को समय करीब 16.00 बजे ग्राम रानीपुर रजमो बाग के पास मृत अवस्था में साहिल का शव मिलना, तथा वादिनी मुकदमा को शंका होना कि जमीनी विवाद को लेकर उसके लडके साहिल को 03 बाल अपचारी निवासीगण गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-186/2025 धारा 103 बीएनएस बनाम 03 बाल अपचारी निवासीगण गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक-24.06.2025 को थाना प्रभारी गम्भीरपुर बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 16 वर्ष को समय करीब 08.50 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास:—

1. मु0अ0सं0-183/2025 धारा 103 BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवण- घटना में प्रयुक्त एक अदद नायलान की रस्सी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1-SO बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2-कां0 धर्मेन्द्र यादव, कां0 सूरज खरवार, म0कां0 श्रुति पाठक थाना गम्भीरपुर जनपद आजममगढ़।